संख्या-262/2017/76/22-2-2017-17(22)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामपाल पुत्र श्री बद्री, निवासी-जनपद-फैजाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1553/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक -04-01-2017 दिनांक 17-01-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 17्01.20017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रामपाल पुत्र श्री बद्री, निवासी-जनपद-फैजाबाद, हाल पता निवासी जगराज मिश्र का पुरवा एस0ओ0-रामनगर थाना-कूडेभार, जिला सुल्तानपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीनी विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 16;09;2001 को 06 अन्य सहअभियुक्तो के साथ मिलकर गड़ासे व बांके से मारकर 06 व्यक्तियों की हत्या का अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-38/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/149,148 में मा0 षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-9, फैजाबाद द्वारा दिनांक 22-08-2005 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी के अन्य 06 सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे है। बन्दी द्वारा दिनांक 06.12.2016 तक 13 वर्ष 11 माह 09 दिन की अपरिहार एवं 16 वर्ष 02 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद की अध्यक्षता में गठित समित ने बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की है। दयायाचिका समिति ने बन्दी द्वारा जमीनी विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 16-09-20016 को 06 सहअभियुक्तो के साथ मिलकर गड़ासे व बांके से मारकर 06 व्यक्तियों की हत्या का अपराध कारित करने, बंदी द्वारा काटी गयी सजा एवं कारित अपराध की गम्भीरता/जघन्यता के दृष्टिगत समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय,लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या- 25987/2016 रामपल पुत्र बद्री बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-10-2016 के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामपाल (बन्दी संख्या-46644) पुत्र श्री बद्री, निवासी जनपद-फैजाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-262/2017/76/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मजिस्ट्रेट, फैजाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in